

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 7188

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 31/12/23

1 अशोक पुत्र पन्नाराम जाति
जाट निवासी उगराराम डूडी
नगर, रोहिली तहसील बाड़मेर
ग्रामीण, जिला बाड़मेर।

1 सोनाराम पुत्र गोरधनराम 2 झमूदेवी पत्नी मगाराम 3
मगाराम पुत्र जेठाराम 4 रमेषचन्द पुत्र आसुराम जाति
जाट निवासी उगराराम डूडी नगर, रोहिली तहसील
बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 210/2023

दिनांक- 27/10/23

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण उगराराम डूडी नगर पटवार क्षेत्र कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खसरा संख्या 134 रकबा 5.6575 हैक्टेयर, खसरा संख्या 491/137 रकबा 3.3427 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




क्रमांक :- रीडर/2023/ 7189-92

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कपूरडी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. अशोक पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी उगराराम डूडी नगर, रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी सोनाराम पुत्र गोरधनराम वगैराह जाति जाट निवासी उगराराम डूडी नगर, रोहिली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक - 31/12/23


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर